फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कन्नी

बनाम

विपक्षी : श्री चम्पा व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या : 136/31

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 05.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी U.T. कर्ता विपक्षी संख्या 1, 3 उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी U.T. कर्ता विपक्षी को जवाब व वकालत पत्र पेश किये जाने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी वकालत पत्र व जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीया के पुर्वजों की कृषि आराजीयात दर्ज होकर प्रार्थीया के पितामह से उत्तराधिकारी के नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठियां होकर कब्जे एवं काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में आराजीयात विपक्षीगण 1 से 3 एवं अन्य के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है। परिशिष्ट ए की आराजी न. 548, 549, 550, 551, 552, 553, 563, 564, 885, 1197/631 व परिशिष्ट बी आराजी न. 554, 565 प्रार्थीया के पुर्वजों की होकर कदीमाना से उत्तराधिकार में चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता स्व. पेमा जी के तीन पुत्र एवं दो पुत्रीया एवं पत्नी होकर पत्नी श्रीमती हगामी का निधन हो गया है। स्व. श्री पेमा जी के देहावसान के पश्चात विपक्षी संख्या 1 से 3 व श्रीमती हगामी ने आपराधिक षडयंत्र कर प्रार्थीया को अपने पिता की सम्पति से वंचित करने की आपराधिक नियम से छल कपट [illegible] और [illegible] कर स्व. पेमा जी के उत्तराधिकारीयों ओर सन्तानों के संबंध में [illegible] विवरण [illegible] हुए इस आशय के कथन कि स्व. पेमा जी के तीन पुत्र और पत्नी [illegible] व विपक्षी सं. 4 का छिपाये रखा ओर आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:26 IST
Reason: SelfAttested

करवा दिया जबकि प्रार्थीया एवं विपक्षी स 4 भूरी स्व. पेमा जी की पुत्रीया है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात में खाता न. 13 में 1/6 हिस्सा निहित था और खाता न. 14 की आराजीयात में विपक्षी 1 से 3 एवं हगामी के 1/3 हिस्से का 1/6 वां और विपक्षी स. 4 का भी 1/6 वां हिस्सा है जो विपक्षी 1 हगामी ने जानबूझ कर आपराधिक नियत से मिथ्या अभिकथन और अभिवचन के रेकर्ड पर आने से आपराधिक नियत से वंचित कर दिया है। प्रार्थीया स्व. पेमा जाईन्दा पुत्री है किन्तु प्रतिवादीयागण एक से तीन अपने पिता की मोरूसी जाय कोई हक हिस्सा नहीं देना चाहते है और इस हेतु विपक्षीगण ने विधि विपरीत आपराधिक कृत्य करते हूए प्रार्थीया को वंचित कर दिया है जिसके लिए प्रार्थी पास अपना नाम बतौर स्व. श्री पेमाजी के उत्तराधिकारी होने की घोषणा करा घोषणा विधि मान्य विभाजन करते हूए राजस्व अभिलेख में खातेदार के रूप में अंकित कराये जाने हेतु न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है। यह कि विप प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने व प्रार्थनाग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित कर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थीया द्वारा मुल वाद घोषणा, बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि बताया है जिसमें प्रार्थीया के पिता पेमा फौत होने के बाद विरासत नामान्तरण विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम गलत दर्ज होना बताया जबकि प्रार्थीया की पुत्री है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थ भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 व अन्य खातेदारो के नाम दर्ज रेकर्ड है। द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि बताया है। उक्त बिन्दु का वाद में साक्ष्य लेने के आधार पर तय किया जायेगा। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का खण्डन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:26 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। प्रार्थना पत्र मे अंकित सजरे से प्रार्थीया प्रेमा की पुत्री है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थीया का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (ए) की आराजी नम्बर 548, 549, 550, 551, 552, 553, 563, 564, 885, 1197/631 किता 10 रकबा 15 बिघा 6 बिस्वा व परिशिष्ट (बी) की आराजी नम्बर 554, 565 किता 2 रकबा 4 बिघा 12 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:26 IST
Reason: SelfAttested